

1.	योजना का नाम	पोलियो योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	पोलियोग्रस्त विशेष योग्यजनों के निःशुल्क पोलियो करैक्शन ऑपरेशन कर शारीरिक रूप से सक्षम बनाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को 5,000/- रुपये प्रति ऑपरेशन हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2000
4.	लाभान्वित वर्ग	पोलियो ग्रस्त विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	राजस्थान राज्य का कोई भी पोलियोग्रस्त व्यक्ति
6.	देय सुविधाएं	प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को रुपये 5,000/- चिकित्सक सहित समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर राजकीय चिकित्सालय को 2,000/- प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु ।
7.	आवेदन का तरीका	चिकित्सक दल द्वारा निरीक्षण करने पर पात्र पाये जाने पर शिविर स्थल पर अथवा चयनित चिकित्सालयों में ऑपरेशन करा सकते है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित शिविर आयोजन के यहां या चयनित चिकित्सालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	संबंधित शिविर आयोजक के यहां चिकित्सक दल द्वारा निरीक्षण करने पर पात्र पाये जाने पर शिविर स्थल पर अथवा चयनित चिकित्सालय में ऑपरेशन करा सकते है।
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।